कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19553/2018 / 1243 दिनांक : 4.4.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले

विषय :— जिला कोर समूह का गठन एवं कार्यवाही विवरण के संबंध में।

संदर्भः— राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग का पत्रांक रा.स्कूलशिप/जय/एसआईक्यूई/2018—19/6338 दिनांक 12.09.2018

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार राज्य में गुणवत्ता शिक्षा हेतु जिला कोर समूह का पुनर्गठन करने के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किये गये। संदर्भित पत्रानुसार कोर समूह का पुनर्गठन करते हुए इसकी त्रैमासिक बैठक आयोजित की जानी है। जिला कोर समूह के सदस्य इस प्रकार होगे—

क्र.सं.	पदनाम	समूह पदनाम
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी **(CDEO)** एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5	अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव
6	अति० जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा — प्रथम	सदस्य
7	अति० जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा — प्रथम	सदस्य
8	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रथम एवं द्वितीय), समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
9	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
10	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
11	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
12	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
13	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (रोटेशन से कोई दो)	सदस्य

जिला कोर समूह के सदस्य जिले में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु सन्दर्भित पत्र में वर्णित अनुसार कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए त्रैमासिक बैठक की जानी सुनिश्चित करें।

माह मार्च, 2019 तक आयोजित बैठकों का प्रतिवेदन मय एजेण्डा दिनांक 09.04.2019 तक निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के एसआईक्यूई अनुभाग की मेल आईडी siqerajasthan.state2@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही आगामी बैठक से पूर्व एजेण्डा तथा बैठक आयोजन के तीन दिवस में प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(ओमप्रकाश कसेरा)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19553/2018 / 1243 दिनांक : 4/4/2019

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ जिलों में जिला कोर समूह की निर्धारित बैठकों हेतु कार्ययोजना का निर्माण कर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान को भेजकर लेख है कि जिला कोर समूह की बैठक आयोजन से पूर्व एजेण्डा तथा बैठक आयोजन के तीन दिवस में प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. सिस्टम एनालिस्ट प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को देकर लेख है कि पत्र आज ही वेबसाईट पर अपलोड करवाएं।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

क्रमांकः रास्कू.शिप/जय/SIQE/2018–19/ 6338 जयपुर, दिनांकः 12/9/18

आदेश

जिला कोर समूह (District Core Group) का पुनर्गठन

जिले के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रभावी संचालन, प्रबन्धन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक विकास, शिक्षकों की क्षमतावर्द्धन, विभागीय एवं समग्र शिक्षा अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्यन एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य एवं वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के सन्दर्भ में पूर्व आदेश क्रमांक उनि/स.शि./SIQE/DCG/ बैठक/2015–16/342 दिनांक 10.04.2016 को अतिक्रमित करते हुए **जिला कोर समूह** (District Core Group) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है –

जिला कोर समूह (D.C.G.)

क्रस	पदनाम	समूह पदनाम
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5	अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव
6	अति० जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा – प्रथम	सदस्य
7	अति० जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा – प्रथम	सदस्य
8	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रथम एवं द्वितीय), समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
9	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
10	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
11	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
12	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
13	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (रोटेशन से कोई दो)	सदस्य

उक्त समिति **जिला कोर समूह** के रूप में जिले की शैक्षिक गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी –

- जिला कोर समिति की बैठक में समस्त अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।
- जिले के राजकीय विद्यालयों के प्रभावी संचालन, प्रबन्धन एवं शैक्षणिक कार्यक्रम पर चर्चा एवं आवश्यक निर्णय लेने के लिए समिति अधिकृत होगी।
- जिले के विद्यालयों में होने वाली शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के समय पर आयोजन एवं पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करेगी।
- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लिए कार्य करेगी।
- समिति की बैठक से पूर्व प्रति सदस्य द्वारा कम से कम एक प्रारम्भिक एवं एक समन्वित विद्यालय का अवलोकन कर अवलोकन प्रतिवेदन पर बैठक में चर्चा व समीक्षा की जाएगी।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान पाई गई कमियों में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिए जाकर पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

- जिला एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा कर उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।
- जिला अकादमिक समूह एवं जिला निष्पादक समिति के निर्णयों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी।
- कोर समिति की बैठक तीन माह (त्रैमासिक) में एक बार की जाएगी एवं बैठक के प्रारम्भ में पूर्व बैठक के निर्णयों/ निर्देशों की पालना की समीक्षा की जाएगी।
- जिला कोर समिति की बैठक का प्रतिवेदन आवश्यक तौर पर राज्य परियोजना कार्यालय एवं निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा।

(नरेशपाल गंगवार) 3/9/18
प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/SIQE/2018-19/ 6339 दिनांकः 12/9/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, एससीआरटी, उदयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक – प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निजी सहायक नियन्त्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
14. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
17. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
18. अति० जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
19. अति० जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
20. सहायक परियोजना समन्वयक, प्रथम एवं द्वितीय, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
21. उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
22. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक।
23. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम), समस्त ब्लॉक।
24. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय, समस्त ब्लॉक
25. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
26. कार्यालय प्रति।

(डॉ० राजेश शर्मा)
आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा एवं
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर